



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244328
CG-DL-E-13032023-244328

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1142]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944

No. 1142]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

का.आ. 1189(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का. आ. 2118 (अ) दिनांक 6 मई 2022 और का. आ. 3579(अ) दिनांक 1 अगस्त 2022 भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण भाग -(II), खण्ड-3 उप-खण्ड (ii) का. आ. 2118 (अ) दिनांक 6 मई 2022 और का. आ. 3579(अ) दिनांक 1 अगस्त 2022 के दिनांकित में निम्नानांकित संशोधन करती है।

दिनांक 6 मई, 2022 की अधिसूचना की अनुसूची की तालिका के कॉलम (7) में

अधिसूचना दिनांक 06.05.2022 के अनुसार

इस रूप में पढ़ा जाएगा

ग्राम का नाम

ग्राम का नाम

7

7

3

वीसूपुरम 182

3

वीसूपुरम

11

कंसावलासा 232

11

कामबावलासा

14	पुलागुडा	14	पूलगुडा
18	काबावलासा	18	बी .कामबावलासा
21	रायावलासा 237	21	रायावलासा
23	कारकवलासा	23	करकावलासा
33	कोट्टूरु	33	कोथूरु

और

दिनांक 1 अगस्त 2022 की अधिसूचना की अनुसूची की तालिका के कॉलम (7) में

अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त 2022 के अनुसार

इस रूप में पढ़ा जाएगा

ग्राम का नाम		ग्राम का नाम	
7		7	
2	मोंडीजगुवा	2	मॉन्डिजामगुडा
3	पीमपूडीवलासा	3	पिम्पीदी वलासा
4	कोडमागुडा	4	कोडामगुडा
5	थूम्मनुवलासा	5	थुम्मानुवलासा
6	कम्बालाटोटा	6	कंबलथोटा
8	बंगरमपेटा	8	बंगारम्मापेटा

शुद्धिपत्र का कारण CALA से प्राप्त गांवों के वास्तविक नाम के प्रकाशन के लिए है

काला से प्राप्त गाँव के नाम के अनुसार गाँवों के नाम में सुधार

[फा. सं. RO/VJA/AnnualPlan/2020-21/1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th March, 2023

S.O. 1189(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways in the State of Andhra Pradesh, S.O. 2118(E) dated 6th May, 2022 Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii) No. 2013 dated 6th May, 2022, and S.O. 3579(E) dated 1st August, 2022 Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii) No. 3414 dated 1st August, 2022 Namely:-

In the Column (7) of Table of Schedule of Notification dated 6th May, 2022

As per Notification dated 06.05.2022		Shall be read as	
Name of the Village		Name of the Village	
7		7	
3	Bisupuram 182	3	Beesupuram
11	Kansavalasa 232	11	Kambavalasa
14	Pulaguda	14	Poolguda
18	Kabavalasa	18	B. Kambavalasa
21	Rayvalasa 237	21	Rayavalasa
23	Karakvalasa	23	Karakavalasa
33	Kotturu	33	Kothuru

and

In the Column (7) of Table of Schedule of Notification dated 1st August, 2022

As per Notification dated 01.08.2022		Shall be read as	
Name of the Village		Name of the Village	
7		7	
2	Mondijaguwa	2	Mondijamguda
3	Pimpudivalasa	3	Pimpidi valasa
4	Kodamaguda	4	Kodamguda
5	Thummamnuvalsa	5	Thummanuvalasa
6	Kambalatota	6	Kambalathota
8	Bangarampeta	8	Bangarammapeta

The reason for corrigendum is for publication of the actual name of the villages as received from CALA

Correction in name of villages as per village name received from CALA

[F. No. RO/VJA/AnnualPlan/2020-21/1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.